ok

अचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं0 70/19-20

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
23/3/19	झारखंड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0 दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0 म0 निति–119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत् है– मौजा– कोलाकुसमा मौजा न0– 12 खाता न0 142 प्लॉट न0 1911 रकवा 13 डि0 की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी, उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या 16 के पृष्ठ संख्या 3031 पर जमाबंदी रैयत श्रीमती फुलेश्वरी तिवारी, पति–श्री दिगम्बर तिवारी के नाम से कायम है। हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार प/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एवं सरकार को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतः– उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन पर अंचल–निरिक्षक का मंतव्य प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक 11/4/19 को रखें। (signature) अंचल अधिकारी धनबाद।	

Scanned with CamScanner

अभिलेख उपस्थापित।अचल निरिक्षक से मतव्य /प्रतिवेदन अप्राप्त है।

1/5/15 अभिलेख दिनांक 15/5/15 को रखे।

1.5.15
अचल अधिकारी
धनबाद।

अभिलेख उपस्थिपित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के

15/5/19 कारण अभिलेख की सुनवाई नही हो सका।

अभिलेख दिनाक 29/5/15 को रखे।

15.5.15
अचल अधिकारी
धनबाद।

15/6/20 अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक मे विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनाक 29/6/20 को रखे।

15.6.20
अचल अधिकारी
धनबाद।

अभिलेख उपस्थपित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा

29/6/20 कोलाकुसमा मौजा न0 12 खाता 142 प्लाट न0 1911 रकवा 12.33डी भूमि से सवधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबदी रैयत के खोज बीन के उपरान्त पता नही चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस न0 ....(......) .... के अनुसार कायम है। तत्कालीन अचल अधिकारी , धनबाद द्वारा उक्त पजी को सदेहास्पद माना गया है। जिसे सवधित उप निरीक्षक एव अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें।

लेखापित एव संशोधत।

15.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।

29.6.20
अचल अधिकारी
धनबाद।

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

वाद अभिलेख संख्या–.........70.../2019 (अन्तर्गत धारा–4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम्...

....

....

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा–.....झोलाबुदना.....थाना नं०–.....12..... खाता नं०–.....142..... खेसरा नं०–.....1911..... रकबा–.....12.52 डि०..... से संबंधित आपके नाम से ह० नं०–.....D..... के पंजी–II भाग.....16..... के पृष्ठ.....3031.....पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक–.....................को समय–11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न–I, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहूँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि:–　　　　मुहर　　　　अंचल अधिकारी

स्थान:–　　　　　　　　.......................................

....

robin C:\Users\HP\Desktop\binod sir\court case.docx

Scanned with CamScanner

4105

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्रीमति सुरेखा प्र० तिवारी
पति श्री दिगम्बर प्र० तिवारी

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
कोला/कुसमा	12	142	1911	13 कडी

3. जमाबंदी पंजी – II के जिल्द संख्या ...16....... पृष्ठ सं० ...3031..... पर कायम है–

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है – 2005/06

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– गैर आवाद

6. किस सक्षम प्रधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– लगान धार्य / बन्दो वस्ती/ दा० खा० मु०सं०.2095 (11) 2005/06 के आदेशानुसार जमाबन्दी सं० 1407 से आया

7. यदि संदेहास्पद जामबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :– कुसुम विहार सहकारी गृह निर्माण समिति

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधर (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोवस्ती –
M/C No. 238 (11) 92/93 Thoka no - 152

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोवस्ती पंजी/ लगान निर्धारण पंजी / भू – हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	2048211	20/03/06	2005/06
02			
03	6094340	17/2/11	08-09 to 11+12

Scanned with CamScanner